आवश्यक

संख्या–8981/26–3––82–11(71)–81

प्रेषक,

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊः दिनांक 15 जुलाई, 1982।

विषय :––स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में निर्मित दुकानों का किराया क्रय पद्धति पर आवंटन

महोदय,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–6596/26–3––82–11(71)/81, दिनांक 24 मई, 1932 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को जानकारी में यह बात आई है कि यद्यपि अनेक जिलों में दुकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है परन्तु उनका आवंटन नहीं हुआ है। यह स्थिति खेदजनक है।

2––ऐसा आभास मिला है कि प्रत्येक स्थान पर निर्मित दुकानों के लिए प्रार्थियों की संख्या निर्मित दुकानों की संख्या की तुलना में कई गुना अधिक है। जिसके कारण उपयुक्त आवंटियों के चयन में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में शासन ने यह निर्णय लिया है सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण सन्दर्भित शासनादेश के पैरा 3 में दी गई शर्तों के अनुसार कठोरता से कर लिया जाए और उसके बाद पात्र अभ्यर्थियों में से लाटरी डाल करके आवंटियों का चयन कर लिया जाए। लाटरी जिले के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समस्त पात्र अभ्यर्थियों की उपस्थिति में निर्धारित दिनांक और समय को निकाली जाए और इसकी सूचना अभ्यर्थियों को निर्धारित दे दी जाए जिससे कि अभ्यर्थियों में असंतोष उत्पन्न होने की गुंजाइश न रहे।

3––अनुरोध है कि दुकानों का निर्माण शीघ्रता से पूर्ण कराने और उनका उपरोक्तानुसार आवंटन सुनिश्चित करने की व्यवस्था अविलम्ब करने की कृपा करें।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

पृ0सं0–8981 (1)/26–3––82–11(71)/81, तद्दिनांक

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड।
(4) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उ0प्र0।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
सचिव।

आवंटित दुकान का विवरण

विकास खण्ड/ शहरी क्षेत्र—————का गांव/मोहल्ला/रोड—————पर निर्मित दुकान संख्या—————जिसकी सीमा निम्न प्रकार है:—

उत्तर में—

पूर्व में—

दक्षिण में—

पश्चिम में—

इस विलेख पर साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं:—

साक्षी : (1) (हस्ताक्षर तथा नाम)
सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (ह० क०)

(2) (हस्ताक्षर तथा नाम)
अन्वेषक/सहायक प्रबन्धक।

आवंटक : (हस्ताक्षर तथा नाम)
अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०)
पदेन जिला प्रबन्धक, उ० प्र० अनुसूचित जाति
वित्त एवं विकास निगम लि०————

प्रथम साक्षी (हस्ताक्षर)
नाम—————
पता—————

(आवंटी के हस्ताक्षर)
नाम—————
पता—————

द्वितीय साक्षी
(हस्ताक्षर)
नाम—————
पता—————